

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 83]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 11, 2017/पौष 21, 1938

No. 83] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 11, 2017/PAUSA 21, 1938

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 2016

का.आ. 94(अ).—केन्द्रीय सरकार, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 5क की उपधारा (1) के साथ पठित राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड नियम, 2003 के नियम 3 के उपनियम (4), द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, (स्व.) श्री लव कुमार कचर के स्थान पर श्री भरत जे पाठक को राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट करती है और भारत के राजपत्र, असाधारण, में संख्यांक का.आ. 1093(अ), तारीख 22 सितम्बर, 2003 के पश्चातवर्ती अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2304(अ) तारीख 11 सितम्बर, 2014 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थातु:-

पश्चातवर्ती अधिसूचना में, -

(ख) खंड (च) में, क्रम संख्या (x) और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात :-

"(x) श्री भरत जे पाठक"।

[फा. सं. 6-46/2013-डब्ल्यूएल]

बी. एस. बोनाल, अपर वन महानिदेशक

टिप्पण: मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण में सं. का.आ. 1093(अ), तारीख 22 सितम्बर, 2003 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् का.आ. 1249(अ), तारीख 8 नवम्बर, 2004; का.आ. 1324(अ), तारीख 1 दिसम्बर, 2004; का.आ. 802(अ), तारीख 16 मई, 2007; का.आ. 483(अ), तारीख 25 फरवरी, 2010; का.आ. 1886(अ), तारीख 22 जुलाई, 2014; और का.आ. 2304(अ), तारीख 11 सितम्बर, 2014 द्वारा संशोधित की गई।

138 GI/2017 (1)

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION

New Delhi, the 28th December, 2016

S.O. 94(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972) read with sub-rule (4) of rule 3 of the National Board for Wild Life Rule, 2003, the Central Government hereby nominates Shri. Bharat J Pathak as member to the National Board for Wild Life in place of (Late) Shri. Lov Kumar Kachar and makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests published in the Gazette of India Extraordinary, vide number S.O. 1093(E), dated 22nd September, 2003, and subsequent notification No. S.O. 2304(E) dated the 11th September, 2014 namely:—

In the later notification—

(b) in clause (f), for serial number(x) and the entry relating thereto, the following serial number and entry shall be substituted, namely:—

"(x) Shri. Bharat J Pathak".

[F. No. 6-46/2013-WL]

B. S. BONAL, Addl. Director General of Forests

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number S.O.1093 (E), dated the 22nd September, 2003 and subsequently amended vide S.O. 1249(E), dated the 8th November, 2004; S.O. 1324(E),dated the 1st December, 2004: S.O. 802(E) dated the 16th May, 2007, S.O. 483(E), dated 25th February, 2010; S.O. 1886(E), dated 22nd July, 2014 and S.O. 2304(E), dated the 11th September, 2014.